न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 01 / 2022 (उदयपुर आर्डर)

स्वर्गीय अमरा पिता वेलिया भील (मृतक) के बजाय :–

1. श्रीमती अणदु पत्नी अमरा खराड़ी, जाति भील, निवासी बोदलापाडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. मणीलाल पिता अमरा खराड़ी, जाति भील, निवासी बोदलापाडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. बापुलाल पिता रामा, जाति बलाई, निवासी घाटोल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. उंकार पिता रामा, जाति बलाई, निवासी घाटोल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. प्रवीण पिता अमरा खराड़ी, जाति भील, निवासी बोदलापाडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–18 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि आवंटन तथा विक्रय) नियम – 1984 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी घाटोल दि. 15.02.2022 प्र.सं. 10 / 19

———/———

उपस्थित :– 1– श्री राजकुमार जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2

———::———

निर्णय **दिनांक 28–10–2024**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि आवंटन तथा विक्रय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:19 IST
Reason: SelfAttested

नियम 1984 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 6125 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि ग्राम घाटोल में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण 50 वर्षो से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण की अन्य कृषि भूमि से एडजोईनिंग है, जिस पर प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कब्जा नहीं है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अवैध रूप से गलत रिपोर्ट के आधार पर आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश दिनांक 13–01–2008 से अपने नाम करवा ली, जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 किसी भी प्रकार से माही विस्थापित का सदस्य नहीं है, जबकि किया गया आवंटन केवल मात्र माही विस्थापित सदस्यों के लिए है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण के नाम नियमन का आदेश फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगणों की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 15–02–2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 30–05–2022 को अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्वर्गीय अमरा के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी थी। दिनांक 10–05–2022 को नकल प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के मृतक पिता अमरा के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अतः न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि उनके पिता अमरा जी का स्वर्गवास दिनांक 09–09–2021 को हो गया था। उक्त निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्टगण अमरा जी के विधिक वारिस होने से उक्त निर्णय से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण अप्रार्थी संख्या 1 मृतक अमरा के विधिक वारिस होकर उसकी पत्नी व पुत्र हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में आवंटन निरस्ती के जो आधार लिये हैं, वह नियम 17 की परिधि में नहीं आते हैं। रेस्पोन्डेन्ट भूमिहीन कृषक होकर उनके पिता स्वर्गीय अमरा जी के पास पर्याप्त कृषि भूमि नहीं है। विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय अमरा जी को विधिवत आवंटित की जाकर उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। अमरा जी की मृत्यु दिनांक 09–09–2021 को हुई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–02–2022 को निर्णय पारित किया गया है, जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने से निरस्त योग्य है। अमरा जी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान अपीलान्टगण को कायम मुकाम बनाये बिना तथा उन्हें सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आवंटन को निरस्त कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट के पिता अमरा जी भूमिहीन कृषक नहीं होकर उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:19 IST
Reason: SelfAttested

खाते में पर्याप्त कृषि भूमि था तथा वह माही विस्थापित की श्रेणी में नहीं आते थे। खातेदारी प्राप्त होने के बाद भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अमरा जी पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है एवं उक्त निर्णय अमरा जी की मृत्यु के बाद पारित किया गया तथा अमरा की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को बिना रेकार्ड पर लिये बिना निर्णय पारित किया गया है है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट के पिता अमरा को खातेदारी अधिकार वर्ष 2020 में ही प्राप्त हो गये थे, खातेदारी अधिकार तभी दिये जाते हैं जब आवंटन शर्तो की पालना पूरी होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र धारा 91 के नोटिसों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण का कब्जा मानकर अपीलान्ट के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–02–2022 निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट के पिता अमरा के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:19 IST
Reason: SelfAttested